FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम बमोरा

विनोद बनाम कैलाश

किस्त मुकदमा 103/12 [illegible] नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
12/12/14	जन-सुनवाई शिविर कार्यक्रम [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] न्यायकी पूर्ववत् दि. 11/2/15 [illegible] प्रति [illegible] की ओर से प्रस्तुत हो जवाब दावा पेश हुआ रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. [illegible]	
11/2/15	[illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] न्यायकी पूर्ववत् दि. [illegible] को प्रस्तुत हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. [illegible]	
12/3/15	पक्षकारान उपस्थित [illegible] प्रार्थनापत्र. दिनांक [illegible] बहस सुनी [illegible] प्रार्थनापत्र [illegible] उक्त दिनांक को 200 रु [illegible] वकील वादी को [illegible] वकील प्रतिवादी [illegible] जवाब दावा द्वारा प्रतिवादी 1, 2 [illegible] दिनांक 12/12/14 को [illegible] जवाब दावा [illegible] जवाब दावा पेश [illegible] पत्रावली में [illegible] 200 रु [illegible] जवाब दावा वकील वादी को [illegible] पत्रावली [illegible] जवाब दावा [illegible] पत्रावली [illegible] वास्ते [illegible] 28/7/15 को पेश हो [illegible]	20/04/2015 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/11/2024	वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 188 RT Act का पेश कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 56/0.04, 253/0.01, 254/0.09 वाके ग्राम कोठी खेड़ा तह0 बयाना स्थित है। वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार, काबिज आराजी है ख0नं0 253 में वादीगण की कोठिया लगी हुई है उक्त कोठिया से वादीगण ही पाई करते चले आ रहे हैं प्रतिवादीगण का उक्त आराजी मात से कोई लेना देना नहीं है एवं ना ही कभी रहा था। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह वादीगण की उक्त आराजी में अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा हैं। दिनांक 14/6/2012 को प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से नींव खोदकर निर्माण करने की धमकी दी है जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपनी उक्त मंशा में सफल हो गए तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक हो गया है। अन्त में वाद वादीगण डिक्री किए जाने का निवेदन किया। दावा वादीगण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 12/12/2014 को पेश कर अंकित किया है कि उक्त आराजी वादीगण द्वारा हाल में ही खरीद किया जाना बतलाया है उक्त खसरा नम्बर के पास हम प्रतिवादीगण का रिहायशी मकान 40-50 वर्ष पूर्व बना हुआ है एवं अपने बुजुर्गों के समय से निवास करते चले आ रहे हैं। हमारे रिहायशी घर में रसोई की पाइप पोस्ट, टी छापपोस्ट तथा प्रेशर लगी हुई है। बाउंड्री वाल है।	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बयाना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रही है। प्रतिवादीगण की उक्त जायदाद में सरकारी हेण्ड पम्प भी लगा हुआ है। यह जमीन सरकार विभाग द्वारा हक प्रतिवादीगण को दी गई। अब वादीगण अपनी जमीन बताकर उक्त आराजी को हड़पना चाहते हैं उक्त आराजी में 45-50 वर्ष से हक रिहायश कर निवास कर रहे हैं यह वाद दीवानी अदालत के श्रवण योग्य है वाद वादीगण खारिज करने का निवेदन किया। दस्तावेजी साक्ष्य के वादी ने प्रदर्श 01 जमा० 2065-68। मौखिक साक्ष्य में PW-1 विनोदकुमार PW-2 नवल के साक्ष्य पत्र पेश हुए। साक्ष्य प्रतिवादी में बार-2 मौका देने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं की। साक्ष्य प्रतिवादी आदेशिका दिनांक 20/09/2019 द्वारा बन्द की गई। हमने विद्वान अभिभाषक वादी की एक-पक्षीय बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किए जाने का निवेदन किया। वाद, जवाब दावा के आधार पर कायम की गई तनकीयात के आधार पर विवेचन निम्नानुसार है। 1- आया वादपत्र की मद संख्या 01 अनुसार विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी, बारानी, काबिज आराजी है- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। प्रदर्श-1 (जमाबन्दी) अनुसार उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज अंकित है। मौखिक साक्ष्य PW-1 विनोद ने स्वयं वादी ने अपने बयान में यह लिखकर कहा है कि उक्त विवादित आराजी उन्होंने 8-9 वर्ष पहले खरीद की थी जब यह जमीन ...

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
खरीद की थी तब कोई हैण्डपम्प नहीं था। विवादित आराजी व अन्य आराजी एक साथ ही खरीद की थी। मुझे यह पता नहीं है कि मेरे खरीदने से पहले विक्रेताओं के पुरखों ने विवादित नम्बर प्रतिवादीगण को रहने के लिए दी थी रखा था व राख है मेरे खरीदने के बाद पाटोर व छप्पर डाले है। बोरिंग व कुँआ खरीदने के समय थी जिनके अलग से पैसे दिए थे। मेरा सारा परिवार आगरा में रहता है। हमने जब जमीन खरीदी थी उस समय स्कूल बना हुआ था। मेरी आराजी में मैं और नवल दोनों मिलकर काम करते हैं। रोड के सहारे सरकारी हैण्डपम्प लगा हुआ है। मुझे पता नहीं इस हैण्डपम्प से कौन पानी भरता है। प्रतिवादीगण को उक्त धमकी नोटिस पहुंचने के बाद में दी थी मुझको धमकी नहीं दी नवल को दी होगी। नवल जी ने बताया होगा और मैंने लिखवा दिया होगा। गांव वालों ने प्रतिवादीगण 50 साल से रह रहे हैं का मजहरनामा दिया हो तो मालूम नहीं। इसी प्रकार नवल ने अपने बयान में अंकित कराया है कि हरिजन उक्त ~~खेत~~ के स्थान पर खेत बेचने के बाद रहने लगे हैं हरिजन पहले हैण्डपम्प से पानी लेते थे अब इधर-उधर से लाते हैं। रघु व इनका परिवार व जाटव यहां रहते हैं रोहनी पाटोर खाते में डाली है। सरदार किशनाराम पंच ने मेरे जन्म से पहले पाटोर डलवा दी थी राजू, रजत का परिवार उसमें रहते है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के साथ नक्शा मौका पेश किया है जिसमें हैण्डपम्प, रोड, पाटोर, खुला छप्पर, हैण्डपम्प आदि दर्शाया हुआ है साथ ही मजहरनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में जो गांव वालों ने तैयार किया है पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण 50 वर्षों से अपनी जगह रह रहा है अंकित किया है।	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	उक्त विवेचन अनुसार वादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार है परन्तु मौके पर प्रतिवादीगण का रिहायशी रहवास है और R.T. Act की धारा 188 से बाहर है। मौके पर निर्माण हो चुके है यह प्रकरण धारा 188 R.T. Act की परिधि से बाहर हो अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।
तनकी	नं० 2 - भार वादी ने अपने स्पष्टीकरण [illegible] में नोटिस लगा रखी है जिससे वह अपनी आराजी में निवास करता है - इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का ही है वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो की उक्त नोटिस वादीगण द्वारा ही लगाई गई हो अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।
तनकी	नं० 3 - भार प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 14/6/2012 को धमकी दी - स्वयं वादी ने अपने जिरह में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी रजेश को धमकी नहीं दी अतः यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।
तनकी	नं० 4 - भार उनका वाद केस सं० 04 अनुसार इनका वादीगण न्यायालय हाजा को श्रवण योग्य नहीं है - प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
	तनकी नं० 1,2,3 विरुद्ध वादीगण एवं तनकी नं० 4 विरुद्ध प्रतिवादीगण सिद्ध हो चुकी है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का पूर्व से ही पक्का निर्माण, रहवास है अतः इसका धारा 188 RT Act के परिधि से बाहर है। वाद - वादीगण खारिज योग्य है।
	आदेश -
	अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। मिसल पर्चा जारी हो। प्रमाणित [illegible] होकर नस्ती [illegible] हो। दाखिल दफ्तर हो। लिखा आज दिनांक

7/11/24 को मेरे द्वारा विधिवत जारी सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी [illegible] (भरतपुर)